

I/355016/2023

संख्या-1083/एक-10-2023-33(36)/2018 टी०सी०1

प्रेषक,

राम केवल,
विशेष सचिव,
उ०प्र० शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
सहारनपुर एवं औरैया।

राजस्व अनुभाग-10

लखनऊ: दिनांक:

24/07/2023

विषय:-वित्तीय वर्ष 2023-24 में बाढ़ से प्रभावित होने वाले व्यक्तियों/परिवारों को राहत सहायता प्रदान किये जाने हेतु राज्य आपदा मोचक निधि से धनावंटन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष-2023-24 में बाढ़ की संभावना के दृष्टिगत बाढ़ से प्रभावित होने वाले व्यक्तियों/परिवारों को राहत सहायता प्रदान किये जाने हेतु बाढ़ मद-02 में निम्नलिखित विवरण, शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन रु० 2,90,00,000/- (रु० दो करोड़ नब्बे लाख मात्र) की धनराशि राज्य आपदा मोचक निधि के बाढ़ मद-02 से कॉलम-2 में अंकित जनपदों के जिलाधिकारी को कॉलम-4 में अंकित धनराशि अग्रिम रूप से सम्बन्धित जनपद के जिलाधिकारी के निवर्तन पर रखने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

क्रमांक	जनपद का नाम	पत्रांक/दिनांक	स्वीकृत धनराशि (लाख रुपये में)
1	2	3	4
1	सहारनपुर	357/दौ०आ०/बजट/2023-24/21.07.2023	200.00
2	औरैया	1279/सी०आर०ए०/दौ०आ०-बाढ़-बजट मांग/2023/19.07.2023	90.00
योग			290.00
(रुपये दो करोड़ नब्बे लाख मात्र)			

नियम व शर्तें / प्रतिबंधों

(1) स्वीकृत धनराशि आहरित करके बैंक खाते में नहीं रखी जायेगी अपितु आपदा से प्रभावित व्यक्तियों/परिवारों को राहत प्रदान किये जाने हेतु स्वीकृत की जा रही धनराशि वित्त विभाग के शासनादेश सं०-ए-1-803/दस-2013-10(28)/2011, दिनांक 10.10.2013 में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार व्यय किया जायेगा। (उक्त शासनादेश में सभी मण्डलायुक्त/जिलाधिकारीगण को प्रेषित किया जा चुका है, जिसे राहत की वेबसाइट पर देखा

एवं प्राप्त किया जा सकता है।)

- (2) आपदा से प्रभावित परिवार को भारत सरकार के पत्र संख्या-33-03/2020 -NDM-I (Vol II) दिनांक-10.10.2022 में अनुमन्य राहत धनराशि सीधे पोर्टल के माध्यम से लाभार्थी के बैंक खाते में ई-पेमेंट के माध्यम से हस्तान्तरित की जाये। इसके अतिरिक्त बाढ़ प्रवन्धन हेतु किये जा रहे समस्त बचाव एवं राहत कार्य हेतु धनराशि जनपदीय कोषागार से सीधे लाभान्वित के बैंक खाते में ई-पेमेंट के माध्यम से ही भुगतान सुनिश्चित किया जाये।
- (3) जिस मद में शासन द्वारा धनराशि स्वीकृत की जा रही है उसी मद में इस धनराशि का उपयोग किया जायेगा। अन्य किसी भी मद/विभागीय कार्य हेतु धनराशि का व्यय कदापि न किया जाये।
- (4) राज्य आपदा मोचक निधि की उक्त धनराशि दैवीय आपदा से प्रभावित व्यक्तियों को राहत सहायता का वितरण भारत सरकार के पत्र सं०-33-03/2020-NDM-I (Vol-II), दिनांक-10.10.2022 जिसमें राहत प्रदान करने के लिए मानक/दरें निर्धारित हैं तथा जो वित्तीय वर्ष-2022-23 से प्रभावी है, का भी अनुपालन किया जायेगा।
- (5) राज्य आपदा मोचक निधि की धनराशि का व्यय सक्षम अधिकारी द्वारा वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त करने के उपरान्त नियमानुसार प्रक्रिया का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए निर्धारित अवधि के अन्दर किया जायेगा।
- (6) वितरित सहायता की सूची ग्राम सभा के नोटिस बोर्ड पर प्रदर्शित की जाये और ग्राम सभा की अगली खुली बैठक में इस पढ़कर सुनाया भी जाये।
- (7) निधि से प्रदत्त धनराशि आपदा राहत हेतु प्रदान की जाती है। अतः आपदा के अनुसार राहत की आवश्यकता का निर्धारण करना तदनुसार धन उपलब्ध कराना तथा इसका सदुपयोग सुनिश्चित करना व्यय का पूर्व विवरण शासन की निर्धारित तिथि तक उपलब्ध कराना जिलाधिकारी का कर्तव्य है। अतः आपदा मोचक निधि से प्रदत्त धनराशि का प्रत्येक स्तर पर पूर्ण सजगता के साथ समुचित प्रयोग सुनिश्चित किया जाये।
- (8) राज्य आपदा मोचक निधि से स्वीकृत धनराशि का जिला स्तर पर समुचित लेखा-जोखा रखा जाये तथा माह के अंत में जिलाधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित किया जायेगा और मदवार मासिक व्यय विवरण निर्धारित प्रारूप पर अगले माह की 05 तारीख तक उपलब्ध कराने के साथ ही उक्त तिथि तक इसे राहत आयुक्त की वेबसाइट <https://rahat.up.nic.in/> पर फीड करवाना सुनिश्चित किया जाये।
- (9) राज्य आपदा मोचक निधि से स्वीकृत धनराशियों के उपभोग/समर्पण के संबंध में शासनादेश सं०-2/1-11-2013-रा०-11, दिनांक 04.03.2013 का अनुपालन किया जायेगा। शासन द्वारा स्वीकृत धनराशि में से यदि कोई बचत/अवशेष की स्थिति बनती है तो उसे वित्तीय वर्ष के समापन/दिनांक-31 मार्च, 2024 से पूर्व शासन को नियमानुसार समर्पित कर दिया जाये।
- (10) उक्त धनराशि का उपभोग प्रमाण-पत्र वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड-5 भाग-1 के प्रस्तर-369-एच के अधीन निर्धारित प्रारूप सं०-42 आई में शासन को उपलब्ध कराया जाये।

55016/2023

(11) व्यय की गयी धनराशि महालेखाकार कार्यालय में सही मदों में पुस्तांकन कराया जाये और प्रत्येक माह में महालेखाकार कार्यालय से आंकड़े समाधानित एवं सत्यापित कराकर शासन को सूचित किया जाये।

2- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय रुपये 2,90,00,000/- (रु० दो करोड़ नब्बे लाख मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष-2023-2024 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या 051 लेखा शीर्षक 2245-05-800-0602 बाढ़ से राहत हेतु स्टेट डिजास्टर रिस्पांश फण्ड से व्यय मानक मद 42 अन्य व्यय के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-2/2023/ बी-1-227/दस-2023-231/2023, दिनांक-17-मार्च 2023 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

Signed by राम केवल

Date: 24-07-2023 19:39:16

Reason: Approved
(राम केवल)

विशेष सचिव।

संख्या-1083(1)/एक-10-2023-33(36)/2018 टी०सी०1, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- महालेखाकार प्रथम/आई डेट प्रथम, उ०प्र०, प्रयागराज।
- 2- सम्बन्धित मण्डलायुक्त, उ०प्र०।
- 3- आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद्, उ०प्र०, लखनऊ।
- 4- वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी, कार्यालय राहत आ. उ०प्र०, रंगठन, उ०प्र०।
- 5- सम्बन्धित जनपद के कोषाधिकारी/मुख्य कोषाधिकारी, उ०प्र०।
- 6- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-5
- 7- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(राम केवल)

विशेष सचिव।

Allotment Grid Report

वित्तीय वर्ष:-2023-2024
आवंटन दिनांक-25/07/2023

प्रेषण संख्या:-
आवंटन आदेश संख्या:-
अनुदान संख्या:-
लेखाशीर्षक:-

1083
001-1083
51 राजस्व विभाग (द्वी विपत्तियों के सम्बन्ध में राहत)(वित्तीय वर्ष 2023-2024 का आवंटन)
2245 - प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत(आयोजनेतर-मतदेय)
05 - स्टेट डिजास्टर रेस्पान्स फण्ड
800 - अन्य व्यय
06 - स्टेट डिजास्टर रेस्पान्स फण्ड से व्यय
02 - बाढ़ राहत हेतु स्टेट डिजास्टर रिस्पांश फण्ड से व्यय
(धनराशि रु. में)

S.No.	अधिकारी/जनपद का नाम		42-अन्य व्यय	योग
1	सहारनपुर-4217-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रणामी	200000000 260000000	200000000 260000000
2	औरैया-4217-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रणामी	90000000 90000000	90000000 90000000
	योग	वर्तमान प्रणामी	290000000 350000000	290000000 350000000

महायोग- (वर्तमान आवंटन):-
महायोग- (प्रणामी आवंटन):-

रूपया दो करोड़ नब्बे लाख
रूपया तीन करोड़ पचास लाख

(अखिलेश प्रताप सिंह)
वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी